भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
पहूज बाँध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ0 प्र0)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute
Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : https://cafri.icar.gov.in

क्रमांक : 3–25 / 2024–25 दिनाँक : 20 / 01 / 2025

प्रति,

....

....

विषय : **विभिन्न प्रजाति के सूखे और गिरे हुए पेड़ों** की बिक्री हेतु अल्पकालीन निविदा आमन्त्रण सूचना ।

महोदय,

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के प्रक्षेत्र में स्थित, विभिन्न प्रजाति के सूखे और गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी **की "जहाँ है – जैसी है"** के आधार पर, बिक्री हेतु **मुहरबन्द निविदाएँ संस्थान द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनाँक 29 जनवरी, 2025 को अपरान्ह 12.30 बजे तक** निदेशक कार्यालय में स्वयं के द्वारा/स्पीड पोस्ट द्वारा/कोरियर डाक द्वारा आमन्त्रित हैं। संस्थान द्वारा संलग्नित / दिये गये निविदा प्रपत्र से भिन्न प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा । प्राप्त निविदायें **दिनाँक 29/01/2025** को अपरान्ह 2.30 बजे सन्दर्भित कार्य हेतु गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी । निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क के रूप में **रूपये 500/– (पाँच सौ)** मात्र (वापिसी योग्य नहीं) जमा करना होगा <u>तथा</u> सुरक्षा धनराशि के रूप में **रूपये 10,000/– (दस हजार)** मात्र जमा करना अनिवार्य है । उक्त धनराशि संस्थान में **पी.ओ.एस. / क्यू.आर. कोड के माध्यम से पृथक–पृथक** भुगतान किये जाने की रसीद <u>अथवा</u> डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि आई.सी.ए.आर. इकाई सी.ए.एफ.आर.आई., झाँसी के पक्ष में निर्गत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा करारी, झाँसी (कोड – 07477) पर देय हो, को संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

सं.	विवरण	सूखे और गिरे पेड़ की संख्या
1	सागौन	51
2	शीशम	15
3	नीम	27
4	सू–बबूल	50
5	बबूल	01
6	छेवला	01
7	बेर	01
8	मीलिया डूबिया	01
9	करधई	04
10	कुमट	02
	पेड़ों की कुल संख्या :	**153**

इच्छुक व्यक्ति / लकड़ी व्यवसायी / ठेकेदार उपरोक्तांकित सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी को **"जहाँ है – जैसी है" के आधार पर**, क्रय किये जाने हेतु निविदा जमा करने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रक्षेत्र प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित कर बिक्री से सम्बन्धित आवश्यक नियम व शर्तें तथा उपरोक्तांकित लकड़ी का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं । निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त एवं सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी को काटने/उठाने के पूर्व सम्पूर्ण धनराशि संस्थान को जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तांकित सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी को काटने एवं ढुलाई का कार्य प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार सम्पन्न करना होगा। बिक्री उपरान्त उक्त सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार/क्रेता का होगा । संस्थान के निदेशक महोदय को निविदा से सम्बन्धित समस्त निर्णय लेने एवं किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

<u>**अन्य शर्तें**</u> –

1. नीलामी / बिक्री का कार्य निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा गठित समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा ।
2. निविदाकर्ता को अपना फोटो पहचान–पत्र/आधार कार्ड, निवास स्थान, कार्यालय का पता तथा दूरभाष संख्या प्रस्तुत करना होगा । बिना पहचान–पत्र के किसी भी व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी ।
3. **उपरोक्तांकित सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी को "जहाँ है – जैसी है" के आधार पर निविदा के माध्यम से बिक्री किया जायेगा।**
4. सफल निविदाकर्ता को स्वीकृत कुल धनराशि पूर्ण रूप से, निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के पश्चात् तथा सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी की कटाई/ढुलाई के पूर्व, तत्काल जमा करनी होगी ।
5. इच्छुक निविदाकर्ता ठेकेदार/फर्म निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व, सम्बन्धित नीलामी के सम्बन्ध में, स्थल निरीक्षण तथा आवश्यक जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।
6. निदेशक महोदय अथवा गठित समिति को कोई भी अन्य शर्ते जो यहाँ अपूर्ण है, सम्मिलित करने का अधिकार होगा।
7. सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रक्षेत्र में प्रवेश और निष्कासन सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त गेट पास द्वारा हो सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. **नीलामी बोली की प्रक्रिया में, संस्थान द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम राशि से अधिक निविदित राशि की निविदाओं को चयन हेतु पात्र माना जायेगा, जो कि उच्चतम निविदित राशि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।**
9. बिक्री के उपरान्त सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता ठेकेदार/फर्म की होगी।
10. उपरोक्तांकित लकड़ी की कटाई एवं ढुलाई का कार्य स्वीकृति के उपरान्त 30 दिवस की अवधि में सम्पन्न करना होगा ।
11. यदि सफल निविदाकर्ता ठेकेदार/फर्म के द्वारा अथवा उसके नामित किसी भी व्यक्ति/श्रमिक द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को जानबूझकर/अथवा अन्य किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचायी जाती है, तो इस अवस्था में संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को वहन करनी होगी।
12. निविदाकर्ता फर्म/ठेकेदार को निविदा के माध्यम से खरीदी गयी विषयांकित सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी के कुल मूल्य पर नियमानुसार **जीएसटी (GST) आदि का अतिरिक्त** भुगतान यदि देय होगा, करना होगा ।
13. **विभिन्न प्रजाति के उपरोक्तांकित सूखे/गिरे पेड़ों की लकड़ी की बिक्री सामान्यतः निर्धारित शासकीय विक्रय दर से कम कीमत पर नही की जायेगी ।**
14. **सफल निविदाकर्ता ठेकेदार / फर्म को लकड़ी उठाने से पहले वन विभाग, झॉसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ही सम्बन्धित लकड़ी संस्थान से उठायी जा सकेगी ।**
15. संस्थान के निदेशक महोदय को निविदा से सम्बन्धित समस्त निर्णय लेने एवं किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

त्रिदेव/20012025

Scanned with OKEN Scanner

(कृपया अपने लेटर पेड के साथ ही प्रेषित करें)

निविदा प्रपत्र

दिनॉक :

प्रति,

निदेशक महोदय
भा.कृ.अनु.परि. – केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान,
पहुज बॉध के पास, ग्वालियर रोड, झॉसी – 284 003 (उ0 प्र0)

विषय : विभिन्न प्रजाति के सूखे और गिरे हुए पेड़ों की नीलामी के माध्यम से खरीद हेतु निविदा ।

संदर्भ : 3–25/2024–25 दिनॉक 20/01/2025

महोदय,

आपके संस्थान की संदर्भित निविदा संख्या 3–25/2024–25 दिनॉक 20/01/2025 के सम्बन्ध में, मैंने निम्न विवरणानुसार **विभिन्न प्रजाति के सूखे और गिरे हुए पेड़ों** की खरीद किये जाने के पूर्व, उनका भली भॉति निरीक्षण कर लिया है तथा मैने विषयांकित लकड़ी की खरीद हेतु संदर्भित निविदा की सभी शर्ते पढ़कर समझ लीं हैं तथा उक्त समस्त शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत होते हुए मै उल्लिखित **विभिन्न प्रजाति के सूखे और गिरे हुए पेड़ों** की लकड़ी को स्वयं के साधन जुटाकर – काटकर ले जाने हेतु आपको अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सं.	विवरण	सूखे / गिरे पेड़ों की कुल संख्या	क्रेता दृारा खरीद का कुल एक मुश्त मूल्य (नियमानुसार जी.एस.टी.आदि यदि होगा, के अतिरिक्त)
1	सागौन	51	
2	शीशम	15	
3	नीम	27	
4	सू–बबूल	50	
5	बबूल	01	
6	छेवला	01	
7	बेर	01	
8	मीलिया डूबिया	01	
9	करघई	04	
10	कुमट	02	
		योग :	

संस्थान द्वारा **निविदा प्रपत्र** शुल्क के रूप में निर्धारित राशि **रूपये 500/– (पॉच सौ)** मात्र पी.ओ.एस. / क्यू.आर. कोड जमा रसीद / ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्र.सं. ....दिनॉक.......................... तथा निविदा की **धरोहर राशि के रूप में वांछित रूपये 10,000/– (दस हजार)** मात्र पी.ओ.एस. / क्यू.आर. कोड जमा रसीद / ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्र.सं. .... दिनॉक.............................. निविदा के साथ संलग्न है ।

भवदीय

संलग्नक :

1. सं. .... दि0..........................राशि.....................
2. सं. .... दि0..........................राशि.....................

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम : ....
पिता का नाम : ....
पता : ....
....
मोबाईल न0..